प्रेषक,

शिवाकान्त द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 05 मार्च, 2021

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 138वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 22.12.2017 तथा 140वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 23.02.2018 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद मेरठ, हापुड़, मुरादाबाद, सम्भल, जे0पी0नगर, सिद्धार्थनगर, बदायूं, गाजियाबाद, बागपत, शामली, अम्बेडकरनगर, बिजनौर तथा बरेली में निर्मित 23 राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था हेतु केन्द्रांश की **प्रथम किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विषयगत जनपदों में निर्मित 23 राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 627.90 लाख से प्रश्नगत कार्य को **जैम पोर्टल/ई-टेण्डरिंग** के माध्यम से करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 376.74 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 188.37 लाख (रूपये एक करोड. अट्ठासी लाख सैंतीस हजार मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 125.58 लाख (रूपये एक करोड. पच्चीस लाख अट्ठावन हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 313.95 लाख (रूपये तीन करोड तेरह लाख पच्चानबे हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित बजट रू0 10000.00 लाख के सापेक्ष अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(केन्द्रांश-60, राज्यांश-40) **(रू0 लाख में)**

क्र0	जनपद	भा0स0 की इम्पावर्ड कमेटी की बैठक/ पत्र संख्या व दिनांक	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रथम किश्त		कुल प्रस्तावित धनराशि (के0+रा0)
									केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मेरठ	138वीं इम्पावर्ड कमेटी बैठक दि0 22.12.2017 /एम.एस.डी.पी.-13/ 452/2017एम.एस.डी. पी.-एम.ओ.एम.ए. दि029.12.2017	राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज, हापुड रोड पुराना कमेला,कायस्थ बड्डा, मेरठ एवं पुटखास में फर्नीचर	04	27.30	65.52	43.68	109.20	32.76	21.84	54.60

http://shrsa.upsdc.up.gov.in

2	हापुड	**138वीं इम्पावर्ड कमेटी बैठक दि0 22.12.2017** /एम.एस.डी.पी.-13/ 305/2017-एम.एस .डी.पी.-एम.ओ.एम.ए. दि0 29.12.2017	राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज, मुरादपुर] सिखेडा, अनूपपुर] मुरशदपुर में फर्नीचर	04	27.30	65.52	43.68	109.20	32.76	21.84	54.60
3	मुरादाबाद	**138वीं इम्पावर्ड कमेटी बैठक दि0 22.12.2017** /एम.एस.डी.पी.-13/ 444/2017-एम.एस. डी.पी.-एम.ओ.एम.ए. दि0 29.12.2017	राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज, रानी नागल (मानपुर) रतनपुर कला में फर्नीचर	02	27.30	32.76	21.84	54.60	16.38	10.92	27.30
4	सम्भल	**138वीं इम्पावर्ड कमेटी बैठक दि0 22.12.2017** /एम.एस.डी.पी.-13/ 456/2017-एम.एस. डी.पी.-एम.ओ.एम.ए. दि029.12.2017	राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज धीमरखेड़ी में फर्नीचर	01	27.30	16.38	10.92	27.30	8.19	5.46	13.65
5	जे0पी0 नगर	**138वीं इम्पावर्ड कमेटी बैठक दि0 22.12.2017** / एम.एस. डी.पी.- 13/454/2017- एम.एस.डी.पी.-एम.ओ. एम.ए. दि0 29.12.2017	राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज, धनौरा में फर्नीचर	01	27.30	16.38	10.92	27.30	8.19	5.46	13.65
6	सिद्धार्थ नगर	**138वीं इम्पावर्ड कमेटी बैठक दि0 2.12.2017 /** एम.एस.डी.पी.-13/ 313/2017- एम.एस.डी.पी.- एम.ओ.एम.ए. दि029.12.2017	राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज, खेसरहा तहसील बांसी में फर्नीचर	01	27.30	16.38	10.92	27.30	8.19	5.46	13.65
			योग	**13**		**212.94**	**141.96**	**354.90**	**106.47**	**70.98**	**177.45**
7	बदायूं	**138वीं इम्पावर्ड कमेटी बैठक दि0 22.12.2017** / एम.एस.डी.पी.-13/ 445/2017- एम.एस. डी.पी.-एम.ओ.एम.ए. दि029.12.2017	वि0ख0-कादरचौक के ग्राम-चौदेरा तथा वि0ख0-देहगवां के ग्राम-नसीरपुर टप्पा मलसई में निर्मित रा0 इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर	01	27.30	16.38	10.92	27.30	8.19	5.46	13.65
8	गाजियाबाद	**138वीं इम्पावर्ड कमेटी बैठक दि0 22.12.2017** / एम.एस.डी.पी.-13/ 455/2017- एम.एस. डी.पी.-एम.ओ.एम.ए. दि029.12.2017	वि0ख0-भोजपुर के तयोरी में निर्मित राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर	01	27.30	16.38	10.92	27.30	8.19	5.46	13.65
9	बागपत	**138वीं इम्पावर्ड कमेटी बैठक दि0 22.12.2017** / एम.एस.डी.पी.-13/ 453/2017- एम.एस. डी.पी.-एम.ओ.एम.ए. दि029.12.2017	वि0ख0-पिलाना के दोझा में निर्मित राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर	01	27.30	16.38	10.92	27.30	8.19	5.46	13.65
10	शामली	**140वीं इम्पावर्ड कमेटी बैठक दि0 23.02.2018** / एम.एस.डी.पी.-13/ 425/2017- एम.एस. डी.पी.-एम.ओ.एम.ए. दि029.02.2018	उमरपुर में निर्मित राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर	01	27.30	16.38	10.92	27.30	8.19	5.46	13.65
11	अम्बेडकर नगर	**140वीं इम्पावर्ड कमेटी बैठक दि0 23.02.2018** / एम.एस.डी.पी.- 13/425/2017- एम.एस.डी.पी.- एम.ओ.एम.ए. दि029.02.2018	टांडा में निर्मित राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर	01	27.30	16.38	10.92	27.30	8.19	5.46	13.65

http://shasanadesh.up.gov.in

12	**बिजनौर**	**140वीं इम्पावर्ड कमेटी बैठक दि0 23.02.2018 /** एम.एस.डी.पी.-13/ 425/2017- एम.एस. डी.पी.-एम.ओ.एम.ए. दि0 29.02.2018	मीरापुर बांगर में निर्मित राजकीय इण्टर/ रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर	01	27.30	16.38	10.92	27.30	8.19	5.46	13.65
13	**बरेली**	**140वीं इम्पावर्ड कमेटी बैठक दि0 23.02.2018 /** एम.एस.डी.पी.-13/ 425/2017- एम.एस. डी.पी.-एम.ओ.एम.ए. दि0 29.02.2018	बरौर में निर्मित राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर	01	27.30	16.38	10.92	27.30	8.19	5.46	13.65
	तदैव	तदैव	मुडियाजागीर में निर्मित राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर	01	27.30	16.38	10.92	27.30	8.19	5.46	13.65
	तदैव	तदैव	वली अहमदपुर में निर्मित राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर	01	27.30	16.38	10.92	27.30	8.19	5.46	13.65
14	**बदायूं**	**140वीं इम्पावर्ड कमेटी बैठक दि0 23.02.2018 /** एम.एस.डी.पी.-13/ 425/2017- एम.एस. डी.पी.-एम.ओ.एम.ए. दि0 29.02.2018	निजामपुरा में निर्मित राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर	01	27.30	16.38	10.92	27.30	8.19	5.46	13.65
			योग	**10**		**163.80**	**109.20**	**273.00**	**81.90**	**54.60**	**136.50**
			महायोग	**23**		**376.74**	**251.16**	**627.90**	**188.37**	**125.58**	**313.95**

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को हस्तान्तरित की जायेगी। निदेशक, द्वारा फर्नीचर की आपूर्ति **जैम पोर्टल/ई-टेण्डरिंग के माध्यम से** की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(3)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। **प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।**

http://shasanadesh.up.gov.in

(4)- **वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 20.01.2021, 09.12.2020, 29.09.2020, 11.04.2020 एवं 24.03.2020, के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(5)- धनराशि आहरित कर बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी। उपरोक्त परियोजनाओं हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(6)- **लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।**

(7)- **कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा ।**

(8)- कार्य की विशिष्टयॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी आपूर्तिकारी संस्था की होगी तथा आपूर्तिकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत राजकीय इण्टर कालेज/बालिका इण्टर कालेजों में फर्नीचर/उपकरण की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित है।

(9)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) **यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग की जायेगी ।**

(11)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(12)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

(13)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(14)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(15)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(16)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(17)- प्रश्नगत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(18)- उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक,अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा तथा प्रथम किश्त के कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त करने का दायित्व अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का होगा तथा गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जाय।

- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणपर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्यव्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-**0109-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण(के0 60/रा0 40-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य** के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-209/दस-2021, दिनांक 04.03.2021 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शिवाकान्त द्विवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या-522(1)/बावन-1-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

http://sirasanadesh.up.gov.in

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को विषयांकित जनपदों में निर्मित 23 राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।

9- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को निर्मित 23 राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in